न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 38 / 2014

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ RAS

1 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 ओमप्रकाश पुत्र महावीर प्रसाद।
2 सुरेश पुत्र महावीर प्रसाद।
3 राजकुमार पुत्र महावीर प्रसाद समस्त जाति सोनी निवासी पिलानी तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक
25.01.2002 द्वारा सहायक कलेक्टर झुंझुनू

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित

1. श्री बिरजु सिंह राजकीय अधिवक्ता
2. श्री विजयपाल अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 11-10-18

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर मुख्यालय झुंझुनू द्वारा वाद संख्या 172/2001 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.01.2002 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। जो इस न्यायालय में अपील संख्या 38/2002 के रूप में दर्ज हुई इस न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 04.09.2004 द्वारा अपील खारिज कर दी। जिसके विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील संख्या 1092/2006/टी.ए./झुंझुनू प्रस्तुत की गई जिसे माननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 17.03.2011 से अपील स्वीकार कर इस न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 04.09.2004 निरस्त कर अपील को गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया इस न्यायालय द्वारा पुन दर्ज कर अपील पुन नम्बर पर लेकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 12.06.2012 के द्वारा अपील में निर्णय

पारित कर अपील स्वीकार करने का निर्णय पारित किया जिस पर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से व्यथित होकर रेस्पोडेंट ने पुन द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल में अपील संख्या 5350/2012/डिक्री/टी. ए./झुंझुनू पेश की गई जिसमें दिनांक 06.12.12 को माननीय राजस्व मण्डल ने प्रकरण इस न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि आराजी खसरा नम्बर 675 व 678 यदि गैर मुमकीन जोहड़ है तो लादुराम वल्द दत्तूराम व पूना वल्द रामकिशन आदि की खातेदारी में किस प्रकार है उक्त खसरो की उक्त भूमि खातेदारी की है कौनसी भूमि सरकारी है अथवा कृषि योग्य है या नही झाड़ीदार वन कब से है उक्त भूमि का वर्गीकरण कब से परिवर्तीत माना गया उससे पूर्व क्या स्टेटस था व उसके खातेदारी के अधिकारों में अथवा किस्म परिवर्तन के कारण खातेदारी के अधिकारो में किस प्रकार प्रभाव पड़ता है वादी की कौनसी भूमि में किस प्रकार का कब्जा कब से है इन पर समग्र रूप से विवेचन कर निष्कर्ष निकालकर दोनों पक्षों की सुनवाई कर पुनः निर्णय पारित करने के लिए प्रेषित किया गया है जिस पर यह अपील पुनः दर्ज कर पक्षकारों को सुना गया।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेंट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर झुंझुनू के समक्ष एक दावा संख्या 172/01 अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का पेश किया कि ग्राम पिलानी के साबिक खसरा नम्बर 675 जिसके हाल खसरा नम्बर 743/व साबिक खसरा नम्बर 678 जिसके हाल खसरा नम्बर 742 कुल 3.52 हैक्टेयर भूमि ठिकाना नवलगढ़ की जागीरदारी थी। वादी/रेस्पोडेंट के पिता ने सन 1955 से पूर्व ग्राम पिलानी के नम्बरदार श्री लादुराम चौधरी को लगान अदा कर दिया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 15.10.1955 को प्रभावशील हुआ। राजस्व कर्मचारियों ने साबिक खसरा नम्बर 675 की 44.11 बीघा भूमि को गैर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

मुमकीन जोहड़ दर्ज कर दिया। यह अंकन वादी रेस्पोडेंट के अधिकारों के विपरित होने के कारण शून्य है। तथा वादीगण ने वाद पत्र के पैरा नम्बर पांच में उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर की चतुर्थ सीमाये अंकित की है तथा वादीगण ने यह भी तथ्य अंकित किया है कि हाल खसरा नम्बर 742 रकबा 0.02 में वादीगण के पुख्ता मकान बने हुये है जो वादीगण के पिता महावीर प्रसाद ने सन 1995 से पूर्व ही बनाये हुये थे जिनमें मय परिवार आबाद है तथा वादीगण विवादित आराजी पर निरन्तर कास्त करते चले आ रहे है तथा अब भी वादीगण की विवादित भूमि पर बाजरे की फसल कास्त की हुई है तथा वादीगण ने वाद पत्र में अंकित किया कि प्रतिवादी ने गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर वादीगण के कब्जे में मजामहत करने की धमकी दी है जिस पर वादीगण ने वाद पत्र पेश किया है तथा वाद पत्र में विवादित आराजी खसरा नम्बर 675/4 रकबा 17 बीघा 1 बिस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर 442 रकबा 0.03 व हाल खसरा नम्बर 743 रकबा 3.50 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.52 का खातेदार काश्तकार घोषित करने हेतु तथा प्रतिवादीगण को उपरोक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर में वादीगण के कब्जे में मजामहत नही करने हेतु वाद पेश किया जिस पर विद्वान सहायक कलेक्टर ने बाद सुनवाई अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 25.01.2002 द्वारा वादीगण/रेस्पोडेंट का दावा स्वीकार कर वादीगण को विवादग्रस्त भूमि का खातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में इसी प्रकार अमल दरामद करने के आदेश व डिक्री प्रदान किये। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 25. 01.2002 के विरूद्व यह अपील संख्या 38/02 उनवानी राजस्थान सरकार बनाम ओमप्रकाश वगैरह न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर कैम्प झुंझुनू के समक्ष प्रस्तुत हुई थी विद्वान अपील अधिकारी ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 04.09.2004 द्वारा अपील खारिज कर दी। राजस्व अपील अधिकारी कैम्प झुंझुनू के निर्णय दिनांक 04.09.2004 के विरूद्व अपीलांट ने माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील संख्या 1092/06/टी.ए./झुंझुनू राजस्थान सरकार बनाम ओमप्रकाश प्रस्तुत की जिसे मण्डल की खण्डपीठ ने अपने निर्णय दिनांक दिनांक 17.03.2011 द्वारा अपील स्वीकार कर राजस्व अपील अधिकारी सीकर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.09.2004 निरस्त कर अपील गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने हेतु राजस्व अपील अधिकारी सीकर को प्रतिप्रेषित कर दी। भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर ने रिमाण्ड प्रकरण को दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की तथा अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2012 द्वारा अपील को स्वीकर कर दिया, जिससे व्यथित होकर माननीय राजस्व मण्डल में रेस्पोडेंट की और से अपील/डिक्री/टी.ए/5350/2012/झुंझुनू प्रस्तुत की गई जिसे माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 06.12.2012 से स्वीकार कर इस न्यायालय को समस्त बिन्दुओं पर समग्रता रूप से परीक्षण कर उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देकर पुन निर्णय पारित करने के लिए प्रतिप्रेषित किया इस पर यह अपील पुन दर्ज की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि उपलब्ध राजस्व रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी की किस्म गैरमुमकिन जोहड़ है और यह आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अनुसार इस आराजी पर चाहे कितना ही पुराना कब्जा क्यों ना हो इस आराजी की खातेदारी किसी को भी नहीं दी जा सकती है। चूकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधान के विपरित दिया है, अतः निर्णय निरस्त किया जाये। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि यह भूमि राज्य सरकार द्वारा एन.सी.सी. को दी गई अत एन.सी.सी. को भी पक्षकार बनाया जाना चाहिए। उनका कथन था कि चूकिं यह भूमि आबादी में परिवर्तित हो चुकी है, अत अब इसे राजस्व न्यायालय द्वारा सुनने का अधिकार नहीं है। वादी द्वारा विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

सिविल न्यायालय में वाद संख्या 68/94 दायर किया गया था, जो दिनांक 30.05.1997 को अस्वीकार हो चुका है। वादी द्वारा वाद दायर करने से पूर्व धारा 80 जाप्ता दीवानी का आवश्यक नोटिस भी नही दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 14 नियम–2 के अन्तर्गत तनकीयात विरचित कर तनकीवार निर्णय किया जाना था जो नही किया गया है अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने मौखिक बहस करते हुये तर्क दिया कि अपील में विवाद आराजी गत खसरा नम्बर 675/4 हाल खसरा नम्बर 742 रकबा 0.02 हैक्टेयर व हाल खसरा नम्बर 743 रकबा 3.50 हैक्टेयर कुल 3.52 हैक्टेयर सरहद कस्बा पिलानी का है उक्त जमीन का टिनेन्ट पहले लक्ष्मीनारायण रेस्पोडेंन्ट संख्या 1 से 3 का दादा था। उत्तराधिकार में रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 कि पिता महावीर प्रसाद को मिली। महावीर प्रसाद से रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 को मिली। उक्त जमीन नवलगढ़ ठिकाने की रही है टिनेन्सी एक्ट लागू होने के पूर्व से उक्त भूमि रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 के दादा के कब्जे काश्त व खातेदारी की रही तथा लगान का संविदा तत्कालीन ठिकाना से कर कब्जा प्राप्त किया गया व काश्त की गई तथा लगान अदा किया गया। लगान पहले तत्कालीन ठिकाना को एवं बाद में राजस्थान सरकार को अदा किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 विवादित जमीन में पुख्ता रिहायशी मकानात बनाकर पूर्वजो के समय से आबाद है जिसकी ताईद हाल खसरा नम्बर 742 रकबा 0.02 गैर मुमकीन आबादी से होती है। राजस्व एजेन्सी ने राजस्व रिकार्ड गलत बना दिया राजस्व रिकार्ड में किस्म जमीन गलत दर्ज कर दी गई। तत्कालीन सहायक कलेक्टर ने दावा सही रूप से डिक्री किया प्रकरण में दफा 16 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधान लागू नही होते क्योंकि प्रदर्श 1 से यह साबित है कि उक्त आराजी काश्त हुई है तथा लगान कायम हुआ है व लगान वसूला गया है। यदि जमीन राजकीय गैर मुमकीन जोहड़ होती

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

तो लगान कायम नही होता तथा काश्त नही होती एवं लगान वसूल नही होता। लगान राजस्व एजेन्सी ने कायम कर वसूला है इनसे साबित है कि जमीन खातेदारी काश्त की रही है। प्रर्दश 3 जमाबन्दी सम्वत 2012 उक्त रिकार्ड में व्यक्तियों के नाम दर्ज तथा खसरा गिरदावरियों में काश्त होना दर्ज है इससे साबित है कि दफा 16 आर.टी.एक्ट. 1955 के प्रावधान प्रकरण में लागू नही होते प्रदर्श 4 नामान्तकरण 551 में यदि जमीन गैर मुमकीन जोहड़ होती तो एन.सी.सी. को आंवटन नही की जा सकती थी। प्रर्दश 8 से 13 में जमीन काश्त होना व रेस्पोडेंट संख्या 1 के पिता द्वारा काश्त होना दर्ज है तथा बाजरा, मोठ, गुवार दर्ज होना यह साबित करता है कि जमीन काश्त हुई है और गैर मुमकीन जोहड़ राजकीय भूमि नही रही राजस्व रिकार्ड में महावीर प्रसाद को गैर खातेदार उपकृषक दर्ज होना यह साबित करता है कि जमीन गैर मुमकिन जोहड़ राजकीय नही रही बल्कि खातेदारी की रही और राजस्व रिकार्ड सही नहीं बना। उपरोक्त अनुसार धारा 16 आर.टी.एक्ट 1955 के प्रावधान लागू नही है रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 द्वारा किये गये दिवानी दावा से वर्तमान अपील में चुनौती दिये गये निर्णय व डिक्री प्रभावित नही हैं क्योंकि दिवानी कोर्ट ने भी यह फाईन्डींग दी है कि प्रकरण राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। ऐसी सूरत में यह साबित है कि विवादित जमीन खातेदार की है व रही है तथा अदालत मातहत का निर्णय उचित व वैध हैं। राजस्व रिकार्ड से खातेदारी हक खत्म नही होते है एव ना पैदा होते है बल्कि यह साबित करना पड़ता है कि टिनेन्सी की संविदा हुई तथा लगान अदा किया जाकर बतौर खातेदार काश्त की गई। उक्त बिन्दु दावा में मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है। केवल मात्र राजस्व रिकार्ड की प्रविष्टियॉ ही महत्व नही रखती है। आर.बी.जे. 2001 पेज 21, ए.आई.आर. 1994 पेज 1653, आर.आर.टी. 2006–2007 पेज 466 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत बताते हुये अपील अपीलांट गुणावगुण पर सारहीन होने के कारण खारिज करने का निवेदन किया है।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधि...

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट की और से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन एवं मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने 7 तनकीयात कायम की है। जो निम्नानुसार है

1. क्या आ0 ख0 नं. 675/4 रकबा 17 बीघा 1 बिस्वा से बने हाल नम्बर 742 रकबा 0.02 हैक्टेयर नं. 743 रकबा 3.50 हैक्टेयर कुल रकबा 3.52 हैक्टेयर स्थित रकबा पिलानी के वादीगण खातेदार काश्तकार है।

   – वादी–

2. क्या वादीगण, प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है।

   – वादी –

3. क्या वादी द्वारा धारा 80 जमाबन्दी का नोटिस दिये बिना दावा पेश किया गया है जो चलने योग्य नही है।

   – प्रतिवादी –

4. क्या एन.सी.सी. पिलानी आवश्यक पक्षकार जिसको पक्षकार न बनाए जाने के कारण वाद चलने योग्य नही है।

   – प्रतिवादी –

5. क्या धारा 16 रा0 का0 अ0 के प्रतिबन्ध के कारण वादी दावा नही ला सकता।

   – प्रतिवादी –

उप खण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

6. क्या विवादित आराजी आबादी है जिसके सुनने का अधिकार न्यायालय को नही है।

— प्रतिवादी —

7. अन्य परितोष।

अदालत मातहत के द्वारा तनकीयात कायम करने के उपरान्त वाद शहादत वादी के लिये नियुक्त किया गया जिसमें वादी में मौखिक साक्ष्य गवाह में पी0 डब्ल्यू–1 ओमप्रकाश सोनी का बयान करवाये तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 लगायत 15 प्रस्तुत की प्रतिवादी अपीलांट के द्वारा अदालत मातहत के समक्ष कोई जुबानी साक्ष्य प्रस्तुत की ना ही दस्तावेज प्रदर्शित कराये केवल मात्र दिनांक 17.01.2002 को फर्द दस्तावेज के साथ सिविल न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय की फोटो प्रति तथा राजस्थान उच्च न्यायालय की द्वितीय अपील की फोटो प्रति प्रस्तुत की है जिन पर कोई प्रदर्श डालने के लिये प्रतिवादी के द्वारा अदालत मातहत के प्रदर्श डालने बाबत आवेदन या निवेदन नहीं किया है। तनकी संख्या 1व 5 परस्पर एक दूसरे से सम्बंधित है इस कारण इन दोनों तनकीयात का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। विद्वान अधिनस्थ सहायक कलेक्टर झुन्झुनू के यहां वादीगण का अपने दावे में यह अभिकथन है कि खेत खसरा नम्बर 742 व 743 का खातेदार, काश्तकार पहले वादीगण का दादा लक्ष्मीनरायण रहा तथा उतराधिकार में टिनेन्सी राईट्स उनके पिता महावीर प्रसाद को मिले ओर अपने पिता से खातेदारी अधिकार स्वयं को मिलना बताया है। वादीगण का इसके अलावा यह अभिकथन रहा है कि आर.टी. एक्ट 1955 के प्रभाव में आने के पूर्व ही वादीगण के पिता ने तत्कालीन नम्बरदार लादुराम चौधरी को लगान अदा किया ओर यह कथन किया गया कि उक्त भूमि तत्कालीन ठिकाना नवलगढ़ की भूमि रही है। इसके अलावा यह अभिकथन किया गया है कि आर.टी. एक्ट सन् 1955 प्रभाव में आने पर जमीन की किस्म गैर मुमकिन

Law

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

जोहड़ राजस्व एजेन्सी ने गलत दर्ज कर दी। जमीन के गत खसरा नम्बर 675/4 होना प्लीड किया है। वादीगण ने अपने दावें में यह भी प्लीड किया है कि उनके पिता का दाह संस्कार इसी खेत खसरा नम्बर 742 में किया गया है और यह कथन किया गया है कि हाल खसरा नम्बर 743 में वादीगण के पुख्ता रिहायशी मकानात है ओर लम्बे समय से जमीन पर पूर्वजों के समय से जमीन पर कब्जा काश्त होना कथन किया है। इसके अलावा वादीगण ने यह प्लीड किया है कि उक्त भूमि में से राजस्थान सरकार ने एन.सी.सी. विभाग को सन् 1965 में जमीन आवंटित कर दी लेकिन भौतिक रूप से कभी भी एन.सी.सी. को कब्जा हस्तानान्तरण नही किया गया वादीगण का कब्जा निरन्तर चला आ रहा है गलत आंवटन होने से स्वतः ही निरस्त किया जा चुका है तथा हाल खसरा नम्बर 742, 743 में एन.सी.सी. का कोई इन्द्राज नहीं है ना ही एन.सी.सी. वादीगण के कब्जे में मजाहमत कर रहे है। वादीगण के वाद को अपीलान्ट ने अदालत मातहत में जबाब प्रस्तुत कर वादीगण के अभिवचनों को खण्डित करते हुये जबाब पेश किया तथा विवादित आराजी खसरा नम्बरान गैर मुमकीन जोहड़ होना बताकर दावा निरस्त करने का जवाब पेश किया है।

न्यायालय को यह तय करना है कि दावे में वर्णित विवादित आराजी में अपीलांट के कब्जे काश्त या खातेदारी की है या नही जिस बाबत पक्षकारान की प्लीडिंगस व मौखिक दस्तावेजी साक्ष्य का गहनता से अवलोकन करने के उपरान्त यह स्थिति प्रकट होती है कि उक्त आराजी हाल खसरा नम्बर 742,743 सरहद कस्बा पिलानी में एक ही जगह स्थित होना तथा उक्त आराजी की हद हदूद वाद पत्र के पैरा नम्बर पांच मे जो हदूद अंकित की गयी है उसका वादोत्तर में अपीलान्ट प्रतिवादी के द्वारा खण्डन नहीं किया गया है जिससे विवादित आराजी की हदूद जिसके उत्तर दक्षिण पश्चिम रास्ता होना रिकार्ड पर प्रथम दृष्टया प्रमाणित है तथा यह तथ्य नक्शा ट्रेस प्रदर्श 2 से भी साबित है प्रदर्श 1 जो कि रेस्पोडेंट वादी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिससे रिकार्ड पर यह

Lano
प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रमाणित है कि उक्त विवादित खसरा नम्बरान का कृषक वादीगण रेस्पोडेंट का पिता महावीर प्रसाद कृषक रहा है तथा जमीन का लगान कायम हुआ है तथा लगान राजस्व कर्मचारियों के द्वारा वादीगण के पिता से प्राप्त किया गया है वादीगण रेस्पोडेंट के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी गिरदावरी प्रदर्श 3,9 व प्रदर्श 12 के अवलोकन से यह साबित है कि उक्त आराजी खसरा नम्बरान का लादू नामक व्यक्ति तत्कालीन ठीकाने के द्वारा नियुक्त नम्बरदार था जो की कर/राजस्व लगान वसूल करने के लिये अधिकृत किया हुआ है वादी द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों से व जुबानी साक्ष्य के अनुसार विवादित भूमि उनके बुजुर्गान द्वारा लगान अदा कर आराजी को कास्त करने का तथ्य रिकार्ड है जिसका कोई जुबानी या दस्तावेज खण्डन अपीलान्ट प्रतिवादी के द्वारा नहीं किया गया है वादीगण रेस्पोडेंट के द्वारा प्रस्तुत गिरदावरीयॉ प्रदर्श 3 लगायत 15 के अवलोकन के उक्त भूमि निरन्तर कास्त होने के तथ्य गैर खातेदारान कब्जा अंकित किया हुआ है तथा भूमि पर बाजरा, मूंग, गुवार की खेती कास्त होना तथा तथा विशेष कालम में रेस्पोडेंट वादीगण के पिता का नाम अंकित होने का तथ्य पत्रावली पर मौजूद है इस प्रकार उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही वादीगण रेस्पोडेंट के बुजुर्गान के द्वारा लगान अदा कर कास्त करने व गैरखातेदारी के बतौर दर्ज होने से उनकों हैरीटेबल हक प्राप्त थे जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने पर स्वतः ही खातेदारी हक हासिल हुये तथा उक्त विवादित भूमि प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वादी रेस्पोडेंट के द्वारा निरन्तर कास्त किये जाने के तथ्य पत्रावली पर प्रदर्श 4 लगायत 14 से बखूबी प्रमाणित है। इस भूमि का लगान कायम होना व वादी रेस्पोडेंट के द्वारा लगान अदा किया जाना जमीन कास्त किया जाना, यह तथ्य रिकार्ड पर वादीगण रेस्पोडेंट के द्वारा बखूबी प्रमाणित किये गये है इसके खण्डन में अपीलांट ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है यह भूमि धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के साथ प्रतिबन्धीत है तथा भूमि एन.सी.सी.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

प्लानिंग को आंवटित की जा चुकी है जो कि स्वतः ही विरोधाभाषी है यदि उक्त भूमि धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से प्रतिबन्धीत होता तो विवादित भूमि का लगान कायम नही होता तथा अगर राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम 16 के प्रावधान उक्त भूमि पर लागू होते तो यह भूमि एन.सी.सी. को अलाट भी नहीं की जा सकती थी इस प्रकार अपीलान्ट का स्वंय का विरोधाभाषी अभिवचन रहा है जिससे यह प्रमाणित होता है कि उक्त विवादित भूमि का राजस्व रिकार्ड में जो गैरमुमकीन जोहड़ दर्ज किया गया है वह राजस्व कर्मचारियों के द्वारा गलत दर्ज किया गया है वैसे भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16(2) जोकि 1958 में जोड़ा गया है उसके संबंध में न्यायिक दृष्टान्त आर.आर. डी. 1973 पेज 395 का अवलोकन किया गया जिसमें यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा 16(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांक 13.01.1958 के द्वारा लागू किया गया है जो कि रिट्रोस्पेक्टीव के तौर पर लागू नहीं माना गया है तथा न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी. 1973 पेज 271 के न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन किया गया है जिसमें यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि **Provision of Sec. 16 Applicable where land used Merely Casual or occasional Cultivation, if The Land has been in continuous Cultivation The provision of 16 (2) are not Applicable** उक्त नजीर हस्तगत प्रकरण में पूर्णतया लागू होती है वादीगण रेस्पोडेंट के द्वारा यह पत्रावली पर बखूबी प्रमाणित किया गया है कि विवादित भूमि उनके बुजुर्गान के समय से कास्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से लगान अदा कर काबिज कास्त की जाती रही है जो दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित है ऐसी सूरत में यह विवादित भूमि निरन्तर कास्त होती चली आ रही है इसलिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधान से प्रतिबंधित नहीं है तथा भूमि निरन्तर कास्त होती चली आ रही होने से तथा लगान कायम होने तथा वादी रेस्पोडेंट के द्वारा अदा करने के तथ्य

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

प्रमाणित होने से वादीगण उक्त तनकीयात को साबित करने में सफल रहा है तथा रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने राजस्व रिकार्ड के संबंध में जो नजीर ए.आई.आर. 1994 पेज 1653 आर.आर.टी. 2006–07 पेज 466 आर. आर.टी. 2014 (2) पेज 1394 पेश की उनका अवलोकन किया गया जो हस्तगत प्रकरण में चस्पा होती है जिनमें यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि राजस्व रिकार्ड से खातेदारी खत्म नहीं होती ना ही पैदा होती है बल्कि टीनेन्सी स्त्रोत का साबित करना होता है टीनेन्सी स्त्रोत के लिये भूमि के अधिकार होना कृषक अथवा उपकृषक होना, लगान अदा होना, भौतिक रूप से कब्जा काश्त होना, को साबित करना होता है जिसे रेस्पोडेंट वादीगण ने अपनी प्लीडिंगस तथा मौखिक दस्तावेजी साक्ष्य से बखूबी साबित किया है जिसके खण्डन में अपीलान्ट की तरफ से साक्ष्य पेश नही हुई है रेस्पोडेंट के द्वारा प्रस्तुत गिरदावरी से उक्त आराजी निरन्तर कास्त होना रिकार्ड पर प्रमाणित है जिससे यह साबित होता है कि विवादित भूमि जोहड़ गैर मुमकीन नहीं होकर बारानी कास्त भूमि है अपीलान्ट के द्वारा दौराने बहस सिविल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णयों का हवाला दिया है जिसमें भी न्यायालय का मत है कि अपीलांट प्रतिवादी के द्वारा अदालत मातहत में उक्त न्यायालयों के निर्णयों के सत्य प्रतिलिपि न तो अदालत मातहत में पेश की है ना ही इस अदालत में सत्यप्रतिलिपि पेश करने का प्रयास किया है तथा उक्त वाद सिविल न्यायालय के द्वारा क्षेत्राधिकार नही होने व राजस्व भूमि के सबंध में वाद होने से केवल राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार होने के कारण वाद निरस्त किया गया है अपीलांट प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जो फोटो प्रति है उनको देखा जाये तो उक्त निर्णय के विरूद्व राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत होने व उच्च न्यायालय में प्रकरण लम्बित होने के तथ्य उभरकर आते है अपीलांट के वकील ने दौराने बहस राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा उक्त निर्णय अन्तिम रूप से निर्णित किया गया या लम्बित है इस बाबत कोई स्पष्ट कथन नही किया है इसलिए यह साबित होता है कि

सिविल न्यायालय में अन्तिम रूप से प्रकरण निर्णित नही हुये है ऐसी सूरत में सिविल न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय से इस प्रकरण में कोई प्रभाव नही होता है। उक्त विवेचन के अनुसार तनकी नम्बर 1 वादी के पक्ष में एवं तनकी संख्या 5 प्रतिवादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 का भार सबूत वादीगण रेस्पोडेंट पर था तथा वादीगण रेस्पोडेंट ने तन की संख्या 2 को मोखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया है विवादित आराजी पर रेस्पोडेंट का भौतिक कब्जा होना बखूबी प्रमाणित है तथा वादीगण रेस्पोडेंट के कथनानुसार विवादित भूमि पर मकान अरसा कदीम से बने हुये है तथा आराजी को काश्त करते चले आ रहे है जिसका अपीलांट प्रतिवादी ने कोई खण्डन मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा नही किया है ऐसी स्थिति में काबिज व्यक्ति के उपयोग उपभोग में दखल करने का कानूनन किसी को अधिकार नही है तथा काबिज खातेदार काश्तकार के हको को सुरक्षित रखा जाना आवश्यक और न्याय संगत है ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 2 वादी के हक में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3 का भार सबूत प्रतिवादी पर था वाद जो की अदालत मातहत में वादीगण के द्वारा प्रस्तुत किया गया है व केवल मात्र घोषणात्मक नही था बल्कि वाद हुक्म इम्तनाई दवामी के लिए भी था तथा अपने वाद पत्र में वादी रेस्पोडेंट ने स्पष्ट अभिवचन किये है कि राजस्व कर्मचारियों के द्वारा दिनांक 04.07.2001 को धमकी देने का अभिवचन किया है तथा यह भी अंकित किया है कि प्रतिवादीगण के कब्जे में मजामहत करने पर आमादा है। वादी के द्वारा वाद पेश करने के उपरान्त अदालत के द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर करने के आदेश पारित किये गये तथा प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये जिससे यह तथ्य उभरकर आता है कि वादी रेस्पोडेट के द्वारा प्रस्तुत वाद जो हुक्म इम्तनाई का था उसे आवश्यक प्रकृति का मानते हुये अदालत मातहत ने वाद दर्ज

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

रजिस्टर करने व नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये है इस संबंध में रेस्पोडेंट वकील के द्वारा प्रस्तुत नजीर ए.आई.आर. 2004 दिल्ली पेज 225 का अवलोकन किया गया जो हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होती है इसमें यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि दावा अदालत के द्वारा दर्ज रजिस्टर करने के आदेश कर सम्मन जारी करने के आदेश पारित किये गये हो तो यह उपधारणा ली जायेगी कि अदालत में धारा 80 (2) जा.दी. के तहत बिना नोटिस के दावा प्रस्तुत करने की ईजाजत दे दी गयी है। इसके अलावा अपीलांट के द्वारा अदालत मातहत में इस तनकी बाबत प्रारम्भिक तनकी कायम करवाकर निर्णित करवाने की कोई चेष्टा नही की गई है। उक्त तनकी को अपीलांट कानूनी तनकी मानते है तो अदालत मातहत में उक्त तनकी को प्रारम्भिक तनकी के रूप में तय करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करना चाहिए था। जो कि अपीलांट के द्वारा नही किया गया है बल्कि रेस्पोडेंट के द्वारा प्रस्तुत गवाहान से जिरह की है तथा इस तनकी के बाबत अपीलांट ने न तो साक्ष्य पेश की है और न ही अदालत मातहत में कोई बहस की है। ऐसी स्थिति में यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्व तय की जाती है।

तनकी संख्या 4 इस तनकी को साबित करने का भार सबूत प्रतिवादी पर था जिसके बाबत प्रतिवादी अपीलांट ने अदालत मातहत में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद आराजी हाल खसरा नम्बर 742 व 743 के पिलानी तहसील चिडावा के संबंध में प्रस्तुत किया गया है तथा उक्त खसरा नम्बरान का वाद प्रस्तुत करते समय की जमाबन्दी पत्रावली पर उपलब्ध है जिसके अवलोकन से बखूबी प्रमाणित है कि उक्त खसरा नम्बरान के राजस्व रिकार्ड में वाद प्रस्तुत करते समय एन0सी0सी0 के नाम से कोई प्रविष्टि नहीं है तथा अपीलांट प्रतिवादी के द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है कि उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बरान का कभी एन0सी0सी0 को कब्जा हस्तानान्तरण किया गया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हो या उनका कभी कब्जा रहा है इसके विपरित में वादी रेस्पोडेंट के द्वारा विवादित आराजी पर अपना निरन्तर कब्जा काश्त होना साक्ष्य के द्वारा प्रमाणित किया है तथा एन0सी0सी0 के द्वारा ना तो अदालत मातहत में कोई आवेदन पेश किया गया तथा ना ही एन0सी0सी0 के द्वारा उस अदालत में कोई अपील पेश की गयी है जबकि विवादित आराजी के संबंध में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड में वाद पेश करते समय कोई एन.सी.सी. के हक में प्रविष्टी न होने से एन.सी.सी. के ना तो आवश्यक प्रकार माना जा सकता है ना ही ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध है कि जिससे यह स्थिति उभर के आती हो कि एन.सी.सी. की उपस्थिति में अदालत के द्वारा प्रभावित डिक्री पारित नहीं की जा सकती है वादीगण ने अपने अभिवचनों व साक्ष्य के द्वारा यह नहीं कहा कि उसके कब्जे में एन0सी0सी0 के द्वारा कभी मजाहमत करने की धमकी दी हो या की जा रही हो ऐसी स्थिति में एन.सी.सी. को आवश्यक पक्षकार नहीं माना जा सकता है यह तनकी भी प्रतिवादी के विरूद्व तय की जाती है।

तनकी संख्या 6 का भार सबूत भी प्रतिवादी अपीलांट पर था इसके बाबत भी प्रतिवादी ने कोई जुबानी, दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है वादी के वाद का अवलोकन किया जावे तो वादी ने अदालत मातहत में विवादित आराजी खसरा नम्बरान के बाबत खसरा नम्बर 742 व 743 वाके ग्राम पिलानी के बाबत खातेदारी हकों की घोषणा एवं हु0 ई0 के लिये वाद पेश किया है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की शिड्युल तृतीय में वर्णित सभी वाद व प्रार्थना पत्र केवल राजस्व न्यायालय के द्वारा सुने व तय किये जाने के प्रावधान है तथा वादी के वाद अभिवेचन के अनुसार खातेदारी हको की घोषणा के बाबत वाद प्रस्तुत किया गया है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तृतिय शिड्युल के प्रविष्टि 89,91 व 92ए के अनुरूप यह वाद पूर्णतया कवर होता है साथ ही अपीलान्ट प्रतिवादी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

सत्यमेव जयते
सीकर

के द्वारा अदालत मातहत में जो फोटो प्रति सिविल वाद का निर्णय प्रस्तुत किया है जिससे यह उभर कर आता है कि प्रतिवादी अपीलांट के सिविल अदालत में यह उजर उठाया था कि वादी रेस्पोडेंट के द्वारा प्रस्तुत वाद केवल मात्र राजस्व न्यायालय को सुनने का अधिकार है सिविल न्यायालय को वाद सुनवाई का अधिकार नहीं है जिस पर सिविल न्यायालय द्वारा वाद राजस्व न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य होना माना गया है तथा अब वादी रेस्पोडेंट ने राजस्व न्यायालय में यह वाद प्रस्तुत किया तो धारा 115 एवीडेन्स एक्ट के प्रावधानों के अनुसार अपीलांट प्रतिवादी राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाबत कोई भी उजर नहीं उठाने के लिये कानूनन पाबन्द है इस संबंध में रेस्पोडेंट वादी के द्वारा प्रस्तुत ए0आई0आर0 1966 मद्रास पेज 374 1970 आन्ध्र प्रदेश पेज 394 जिसमें यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि किसी पक्षकार के द्वारा क्षेत्राधिकार के उज्र उठाने पर वाद या अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस लौटाई जाती है तथा वाद सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। प्रथम पक्षकार जिसने की पूर्व में क्षेत्राधिकार की आपत्ति की तो सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत होने पर क्षेत्राधिकार के बाबत कोई उज्र न उठाने के लिये कानूनन पाबन्द है ऐसी सूरत में तनकी संख्या 6 प्रतिवादी के विपरित निर्णित की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार तनकी संख्या एक व दो वादीगण रेस्पोडेंट अपने हक में साबित करने में सफल रहा है तथा तनकी नम्बर तीन, चार, पांच व छः प्रतिवादी अपीलांट अपने हक में साबित करने में असफल रहा है अन्य तनकी जो की परितोष की है उसके बाबत दौराने बहस वकील स्वंय ने अदालत का ध्यान धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 7 नियम 10 जाप्ता दिवानी का हवाला देते हुये निवेदन किया है कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 742, 743 कुल रकबा 3.52 हैक्टेयर वाके ग्राम पिलानी के खातेदार काश्तकार

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

घोषित करने के आदेश व डिक्री पारित की है लेकिन उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बरान की किस्म के बाबत जो की राजस्व कर्मचारियों के द्वारा गलती से राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकीन जोहड़ दर्ज की गयी है उसके बाबत कोई आदेश पारित नहीं किया है जिस बाबत आदेश दिया जाना न्याय संगत है न्यायालय के द्वारा उपरोक्त विवेचन के अनुसार पत्रावली पर यह तथ्य साक्ष्य के द्वारा प्रमाणित है कि उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बरान कभी भी गैर मुमकिन जोहड़ नहीं रहा है उक्त भूमि हमेशा निरन्तर काबिज कास्त है तथा हुई है ऐसी सुरत में उक्त विवादित खसरा नम्बरान के बाबत जो राजस्व रिकार्ड में किस्म जो कि गैर मुमकिन जोहड़ दर्ज है के स्थान पर बारानी तृतीय दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील सारहीन होने से गुणावगुण के आधार पर खारिज की जाती है एवं उपरोक्तानुसार खसरा नम्बर 675/4 रकबा 17 बिघा 1 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 442 रकबा 0.03 हैक्टेयर व हाल खसरा नम्बर 743 रकबा 3.50 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.52 हैक्टेयर जिसकी राजस्व रिकार्ड में किस्म गैरमुमकिन जोहड़ दर्ज है उसे दुरूस्त कर बारानी तृतीय दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.X.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

11/X/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर